



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 40,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-213/2023 धारा-458,302,354 भा०द०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंग० एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपक पुत्र दयाराम निवासी बसेला थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व ₹40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
एडीजीसी श्री महेश चन्द्र
द्विवेदी



विवेचक-
निरी० भरत कुमार



पैरोकार- थाना
राठ
का० प्रदीप भार्गव